ment was made on the floor of this House. That is why, I allowed it to go on record because people should see how Members behave in this House.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu): Has it been expunged, Madam?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I won't expunge it till he apologises for it. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, you are in a bad mood today.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not a bad mood. Just listen, Mr. Gurudas Gupta. It is not individually me. This Chair has been presided over by very senior people, very very important people. In our absence all those who preside over this House, have got the same authority as the Chairman has. I would not like any aspersion on the Chair, whether it is me or anybody else, from the Members of the Opposition or the ruling party. It is a serious matter. Don't make a joke of it. It is your own House. It is your own Chair. One day you might become the Deupty Chairman. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I need no light, Madam. But I am ready to be reflected by her light.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let her throw light on the Labour Ministry now.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF LABOUR

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : मैडम डिप्टी चैयरमैन, आपके माध्यम से मैं सदन के सामने श्रम मंत्रालय के कार्यकलापों पर अपने विचार रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि श्रम मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसको बिल्कुल एडहॉकिज्म की तरह चलाया जा रहा है। जब यह नयी सरकार बनी तो एक राज्य मंत्री नियुक्त किया गया और कावेरी नदी में जो विवाद की बाढ़ आई, राज्य मंत्री महोदय उसमें डूब गए। राममूर्ति जी ने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद अब तक श्रम मंत्रालय बिल्कुल एडहॉक तरीके से काम कर रहा है। महोदया, राममूर्ति जी खुद एक श्रमिक संगठन के चलाने वाले व्यक्ति थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, वह आई. एन. टी. यू. सी. के साथ जुड़े हुए थे। आनेवाले दिनों में श्रम मंत्रालय की ओर से क्या करना होगा, उसके बारे में उन्होंने कुछ विचार किया था।

[उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) पीठासीन हुए]

सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि लेबर कांफ्रेन्स बुलाएंगे। आप जानते हैं कि प्रत्येक तीन वर्ष में सभी श्रमिक-संगठन के प्रतिनिधि मालिकों के प्रतिनिधि सरकार के साथ बैठते हैं, एक ट्राइपर्टाइट कांफ्रेन्स होती है, जिसमें आने वाले दिनों में श्रमिक-संगठनों का और श्रम मंत्रालय का नीति-निर्धारण क्या होगा, उसके बारे में विचार किया जाना है। लेबर कांफ्रेन्स बुलानी थी और इस कांफ्रेन्स का एजेण्डा भी करीब-करीब तय हो रहा था, लेकिन अब पता नहीं लेबर कांफ्रेन्स होगी भी या नहीं और अगर होगी तो कब होगी, एजेंडा क्या होगा, कुछ मालूम नहीं। एक लेबर स्टैंडिंग कमेटी होती है, उस लेबर स्टैंडिंग कमेटी को री-कंस्टीट्यूट करने की बात हुई थी। वह भी अभी तक नहीं हो पाई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि श्रम मंत्रालय ने अब तक निश्चित दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट एक विधेयक लाई थी—वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट उस विधेयक में श्रमिकों की प्रबंधन में साझेदारी की बात कही गई थी और विधेयक में यह कहा गया था कि फ्लोर लेवल से लेकर बोर्ड आफ डायरेक्टर तक प्रत्येक निबंधन में मजदूरों की साझेदारी हो, भागीदारी हो। जैसे ही यह विधेयक लाया गया था, पूरे देश में सभी श्रमिक-संगठनों की ओर से इसका स्वागत किया गया था, मगर प्रबंधन की ओर से इसकी बड़े जोरों से क्रिटिसिज्म हुई थी, बहुत जोरों से इसकी आलोचना की गई थी

[श्रीमती कमला सिन्हा]

और तरह-तरह की इस पर चर्चाएं हुई थीं । चर्चा जोरदार चलती रही क्योंकि किसी भी प्रबंधन को यह मंजूर नहीं था कि साधारण मजदूर, अपने मालिकों के साथ, प्रबंधन के अफसरों के साथ, आला अफसरों के साथ बैठकर वह, प्रबंधन को कैसे चलाया जाये, संस्थान को कैसे चलाया जाए; उसके बारे में नीति-निर्धारण करे, पालिसी डिसिजन में भागीदारी करे । यहां तक कहा गया कि यह मजदूर, यह क्या जानता है ? जैसे कोयला खदान के मजदूर को ही ले लीजिए, कोयला खदान का एक मजदूर कोल इंडिया के चेयरमैन के साथ, कोल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कैसे बैठेगा ? वह क्या जानता है ? इस तरह की बात सभी ने कही, लेकिन उस समय की सरकार ने यह तय किया था कि मालिकों के साथ बैठकर मजदूर जब तक प्रबंधन में भागीदारी करके श्रमिक-नीति का निर्धारण नहीं करेगा तब तक इस देश की आर्थिक-नीति में कोई विकास हो नहीं सकता है । इस विषय में अभी तक इस सरकार का, नई सरकार आई है इसका, कोई स्पष्ट नीति-निर्धारण हमारे सामने नहीं आया है ।

महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, एक विधेयक आया था—इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल, जिसका पूरे देश के श्रमिक-संगठनों ने बहिष्कार किया था । यह बिल जब आया सारे लोगों ने उसका बहिष्कार किया यह कहते हुए कि यह ड्राकोनियन बिल है, मजदूर विरोधी है । तब यह विधेयक लंबित रहा वर्षों तक । उसके बाद नेशनल फ्रंट की सरकार ने एक विधेयक लाने के बारे में सोचा और उस मामले में श्रमिक-संघों के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि विधेयक आए, हम जरूर चाहते हैं और जो अभी का विधेयक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और अन्य इंडस्ट्रियल एक्ट्स इनको रद्द करते हुए एक समेकित विधेयक लाया जाए । ऐसा एक समेकित विधेयक तैयार हो, जिसमें सारी मजदूर समस्याओं के, श्रमिक समस्याओं के निदान का रास्ता खुले । ऐसा तय किया गया था और एक समिति बनाई गई थी ।

महोदय, आपको सुनकर खुशी होगी और मैं सरकार को यह बताना चाहती हूं कि उस समय की सरकार ने, नेशनल फ्रंट की सरकार ने यह कहा था कि मजदूरों को, श्रमिकों को अपने लिए कानून बनाना है तो श्रमिकों को यह कानून का प्रारूप खुद बना दें, विधेयक का प्रारूप खुद बना दें और एक बाईपार्टाइट कमेटी बनी । उस समय बाईपार्टाइट कमेटी, मालिकों के प्रतिनिधि और मजदूरों के प्रतिनिधि की, जिसमें रामानुजम जी, जो आईएनटीयूसी के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बनी थी । इस समिति ने कई महीनों तक लगातार बैठक करके एक विधेयक का प्रारूप भी बनाया था । यह प्रारूप सरकार के समक्ष लंबित है । मुझ नहीं मालूम सरकार इस विधेयक को कब सही मायने में अमली जामा पहनाना 6.00 P.M. चाहती है? कब इस विधेयक को लाना चाहती है सदन में? महोदय, मैं आपके माध्यम से अब जो विशेष समस्याएं हैं, उनके बारे में सरकार से मैं बात करना चाहती हूं । एक तो सरकार का अभी तक एडहॉकिज्म में ही काम चल रहा है। आप सब जानते हैं कि सभी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में हर तीन साल के बाद वेज रिवीजन होता है, नई वेज नीति निर्धारित की जाती है। कोल इंडिया में होने वाला है, सेल में होने वाला है। प्रत्येक सरकारी उपक्रमों में वेतनमान तय किया जाएगा और यह वेतनमान तय करने में सबसे जो महत्व की चीज होती है वह यह कि महंगाई बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती हुई महंगाई का कैसे उसमें समायोजन किया जाएगा, उसके बारे में जो बहुत आवश्यक मुद्दा तय करना है, यह है डीयरनेस अलाउंस । पिछली बार जब नेशनल फ्रंट की सरकार थी तो श्रमिक संघों की ओर से यह कहा गया था कि हमें दो रुपया प्रति प्वाइंट महंगाई का चाहिए, लेकिन उस समय.... (व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, 6.00 बजे माननीय कृषि मंत्री जो ने वक्तव्य देना है, कमला जी . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): ठीक है, लेकिन ऐसा है कि पहले कमला जी अपना भाषण पूरा कर ले, उसके बाद मैं . . . (व्यवधान) . . .

श्रीमती कमला सिन्हा : जैसा आपका आदेश होगा । मैं कल भी बोल सकती हूं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): The hon. Member can continue her speech next day also.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): ठीक है, सुषमा जी आप बैठिए । कमला जी, आप आज समाप्त करना चाहती है या कल बोलेगी ?

श्रीमती कमला सिन्हा : मैं कल बोलूगी । मैंने तो अभी शुरू ही किया है, पांच मिनट भी नहीं हुए । मैं कल बोलूगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ठीक है, अब आप बैठ जाइए ।

जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय कृषि मंत्री , श्री बलराम जाखड़ जी कोई स्टेटमेंट सदन के सामने देने वाले है ; आपके हाथ में भी स्टेटमेंट की कापी आने वाली है । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे अपना स्टेटमेंट दे ।

STATEMENT BY MINISTER

Price Policy for Kharif Crops of 1991-92

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR):

माननीय उपसभाध्या महोदय,

The Government have fixed the Minimum Support Prices for Kharif Cereals, Coarse Cereals, Pulses, Oilseeds and Cotton for the 1991-92 season. These levels of support price have been fixed after considering the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices, including the revised recommendations submitted after the Government announced an increase in fertilizer prices by 40 per cent. The Government have also kept in view scaled down increase in prices of fertilizers by 30 per cent.

The minimum support price for paddy of Fair Average Quality (FAQ) has been fixed at Rs. 230 per quintal for the 1991-92 season marking an increase of Rs. 25 per quintal over the price of Rs. 205 per quintal for 1990-91. The support prices for Fine and Superfine varieties are Rs. 240 and 250 against the prices of Rs. 215 and Rs. 225 for the preceding year.

The minimum support prices for Kharif Coarse cereals *viz. Jowar, Bajara* and Ragi of FAQ have been increased by Rs. 25 per quintal from Rs. 180 per quintal for 1990-91 season to Rs. 205 per quintal for the 1991-92 season. An increase of Rs. 30 per quintal from Rs. 180 for 1990-91 to Rs. 210 per quintal for 1991-92 has been allowed for Maize.

The support prices for Kharif Pulses *viz.* Arhar (Tur), Moong and Urad of FAQ will be Rs. 545 per quintal for the 1991-92 season showing an increase of Rs. 65 over the price fixed for the preceeding season.

The price for Groundnut-in-shell of FAQ marks an increase of Rs. 65 per quintal to Rs. 645 from the price of Rs. 580 per quintal for the 1990-91 season.

For Soyabean Yellow and Soyabean Black varieties the support prices are Rs. 445 per quintal and Rs. 395 per quintal respectively as compared to Rs. 400 and Rs. 350 for the preceeding year.

The minimum support price for Sunflowerseed for 1991-92 is Rs. 670 per quintal showing an increase of Rs. 70 over that for the previous season.

The minimum support prices fixed for the basic varieties of Cotton *viz.* F-414/ H777 and H-4 varieties at Rs. 695 and